05.05.2025:—पत्रावली आज प्रार्थीया जरिये अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थीया द्वारा अपना मुल वाद पत्र विड्रा कर लिया गया है। मूल वाद पत्र विड्रा होने के कारण प्रार्थना—पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। प्रार्थीया के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गए। प्रार्थीया की पहचान प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 18.01.2025 वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.26 15:37:44 IST
Reason: SelfAttested